संख्या : 1339/XXIV-3/10/03(17)10

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 08 सितम्बर ~~अगस्त~~,2010

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख (2)/123296 /जीर्ण–शीर्ण/ 2009–10 दिनांकः 26 जुलाई, 2010 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–4 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 174.98 लाख की औचित्यपूर्ण धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्तम्भ–5 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 16.98 लाख (रूपयें सोलह लाख अठानवें हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या :803/XXIV–3/10/02(16)2010, दिनांकः 02 जून,2010 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 302.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृति हेतु संस्तुत धनराशि
01	02	03	04	05
01	रा0इ0का0 डडोली, पौडी	उ0पे0सं0वि0एव नि0नि0पौडी	57.49	5.49
02	रा0इ0का0 हिंवालीधार,पौडी		58.56	5.56
03	रा0इ0का0 नासौं , पौडी		58.93	5.93
		कुल योग	174.98	16.98

1. कार्य करने से पूर्व उक्त कार्य के संबंध मे कार्यदायी संस्था से, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(07)2008: दिनांक 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं,अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/ सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

अपेक्षित

2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्ष प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। कार्य के प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक,–आयोजनागत, 11–राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण,–00– 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 300(P)/XXVII(3)/2010 दिनांकः 09अगस्त, 2010 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1339(1)/XXIV-3/10/03(17)2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अर्पण

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव,सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4(घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
9. जिलाधिकारी, पौड़ी, ।
10. कोषाधिकारी, पौड़ी,।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी, ।
12. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ ।
13. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
14. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग) ।
15. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
16. संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
17. रक्षित पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उपसचिव।

अर्पण